

## राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

7वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,  
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली  
दिनांक: 21.09. 2023

NF-12042/2/2023-ESTT-NFRA

### परिपत्र

केन्द्र सरकार से सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सीनियर पीपीएस)/ प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)/ निजी सचिव (पीएस) से एनएफआरए में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। एनएफआरए की स्थापना, लेखांकन और लेखापरीक्षा के उच्च गुणवत्ता मानक स्थापित करते हुए तथा कंपनियों और कॉर्पोरेट निकायों द्वारा निष्पादित लेखांकन कार्यों और लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा कार्यों पर प्रभावी निगरानी रखते हुए जन हित और निवेशकों, लेनदारों और कंपनियों या कॉर्पोरेट निकायों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है। अधिक जानकारी के वेबसाइट [nfra.gov.in](http://nfra.gov.in) देखें।

2. एनएफआरए, केन्द्र सरकार से सेवानिवृत्त और इच्छुक योग्य वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सीनियर पीपीएस-लेवल 12)/ प्रधान निजी सचिव (पीपीएस - लेवल 11)/ निजी सचिव (पीएस लेवल 8) से नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में संविदा के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह नियुक्ति व्यय विभाग के दिनांक 9.12.2020 के का. ज्ञा. संख्या 3-25/2020-ई.111A (प्रतिलिपि अनुलग्नक-III पर) में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर होगी। एमएसीपी/एनएफएसजी के कारण उच्चतर वेतनमान के साथ इन ग्रेडों के सेवानिवृत्त अधिकारी भी आवेदन करने के पात्र हैं। पात्रता, पदों की संख्या आदि का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। आवेदन का प्रारूप अनुलग्नक-II में दिया गया है।

3. इच्छुक और पात्र सेवानिवृत्त अधिकारी सहायक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति के साथ अपने भरे हुए आवेदन की स्कैन की गई प्रति अधिकतम 26.10.2023 तक ईमेल आईडी [manager-admn@nfra.gov.in](mailto:manager-admn@nfra.gov.in) पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन की एक हार्ड कॉपी एक लिफाफे पर 'सेवानिवृत्त वरिष्ठ पीपीएस/ पीपीएस/पीएस की परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन' लिखकर सचिव, एनएफआरए, 7वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110001 को भेजी जाए। इस सूचना में किसी परिवर्तन की स्थिति में, इसे एनएफआरए की वेबसाइट [nfra.gov.in](http://nfra.gov.in) पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसलिए इच्छुक व्यक्ति नियमित रूप से एनएफआरए की वेबसाइट देखते रहें।



सिमरदीप सिंह आहूजा  
उप महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त।

प्रतिलिपि:

1. अवर सचिव, डीओपीटी से अनुरोध है कि इस परिपत्र को कृपया डीओपीटी की वेबसाइट के संबंधित सूचना भाग में अपलोड किया जाए।
2. सहायक प्रबंधक (आईटी), एनएफआरए से अनुरोध है कि इस परिपत्र को एनएफआरए की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और एमसीए की वेबसाइट और एनएफआरए के सोशल मीडिया अकाउंट्स/हैंडल्स पर अपलोड कराने की व्यवस्था की जाए।

**अपेक्षाओं का विवरण**

**1. पात्रता -**

- (i) आवेदक, केन्द्र सरकार का नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सीनियर पीपीएस)/प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)/निजी सचिव (पीएस) के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए।
- (ii) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को आवेदक की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iii) आवेदक की सेवानिवृत्ति की तारीख, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 2 वर्ष से पहले की नहीं होनी चाहिए।
- (iv) वह भारतीय नागरिक होना चाहिए।

**2. पदों की संख्या -** फिलहाल पदों की संख्या 06 है। तथापि, एनएफआरए चयनित आवेदकों का एक पूल बनाएगा और आवश्यकतानुसार उन्हें नियुक्ति दी जाएगी।

**3. अपेक्षित अनुभव-**

- (i) आवेदक केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों के कामकाज से सुपरिचित होना चाहिए और उसे केन्द्र सरकार के विभिन्न नियमों/विनियमों की जानकारी होनी चाहिए।
- (ii) वह शॉर्टहैंड में डिक्टेशन लेने और उसके प्रतिलेखन, सरकारी कार्यों में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करने में सक्षम होना चाहिए।
- (iii) उसे कार्यालय के दैनिक कामकाज में आवश्यक कंप्यूटर एप्लीकेशन्स और ई-ऑफिस का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए और अंग्रेजी टाइपिंग में दक्ष होना चाहिए।

**4. कार्य का स्वरूप -**

- (i) निर्देशानुसार सभी पत्रों का मसौदा तैयार करने और जारी करने में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना।
- (ii) वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के समय/कार्यों की देखभाल करना।
- (iii) टेलीफोन कॉल पर ध्यान देना और आगंतुकों का स्वागत करना।
- (iv) अधिकारी द्वारा रखे जाने के लिए आवश्यक कागजात को बनाए रखना, गोपनीय और गुप्त पत्रों के आशुलिपि रिकॉर्ड को टुकड़े-टुकड़े करके/जलाकर नष्ट करना।
- (v) वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

**5. नियम एवं शर्तें**

- i) अनुबंध III में उल्लिखित नियम और शर्तें।
- ii) परामर्शदाता को कार्य के निर्धारित सामान्य समय (अर्थात् प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक) का पालन करना होगा। हालाँकि, कार्य की अनिवार्यता की स्थिति में उसे देर तक बैठना पड़ सकता है और/अथवा शनिवार/रविवार को और अन्य राजपत्रित छुट्टियों में बुलाया जा सकता है। इसके लिए किसी अतिरिक्त भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- iii) परामर्शदाता को किसी भी स्तर के अधिकारी के साथ संबद्ध किया जा सकता है और उसे किसी सहायता के बगैर स्वतंत्र रूप से काम करना होगा।

- iv) परामर्शदाता की सेवा कोई कारण बताए बगैर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। तथापि, यदि परामर्शदाता किसी कारण से काम करने का इच्छुक नहीं है, तो उसे कार्यालय को कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा। सभी मामलों में एनएफआरए का निर्णय अंतिम होगा।
- v) समय-समय पर लागू पारिश्रमिक/भुगतान से करों की कटौती की जाएगी।

**6. नियुक्ति की सामान्य शर्तें:**

- i) चयनित परामर्शदाता समय-समय पर यथा संशोधित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 द्वारा शासित होगा/होगी और वह ऐसी कोई जानकारी/सूचना किसी अनधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के समक्ष प्रकट नहीं करेगा/करेगी जो इस कार्यालय में 'परामर्शदाता' के रूप में उसकी नियुक्ति की अवधि के दौरान उसके ध्यान में आ सकती है। ऐसे सभी दस्तावेज प्राधिकरण की संपत्ति होंगे।
- ii) वह अपने कार्यों के प्रयोजन के लिए या इस कार्यालय के कार्यों के दौरान एकत्रित किसी डेटा या आंकड़ों या कार्यवाही या जानकारी का सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट लिखित सहमति के बगैर उपयोग या प्रकाशन नहीं करेगा/करेगी अथवा किसी तीसरे पक्ष को नहीं देगा/देगी।
- iii) उसे हर समय एनएफआरए के हित में कार्य करना होगा और कोई भी सेवा पेशेवर ईमानदारी के साथ प्रदान करनी होगी।
- iv) वह इस कार्यालय में परामर्शदाता के रूप में काम करते समय सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता और दक्षता के उच्चतम मानक बनाए रखेगा/रखेगी।
- v) इस प्रकार नियुक्त परामर्शदाता किसी मामले में जो इस कार्यालय के हित के विरुद्ध हो, दूसरों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा/करेगी अथवा राय या सलाह नहीं देगा/देगी और न ही वह संविदात्मक असाइनमेंट की शर्तों के बाहर किसी गतिविधि में शामिल होगा/होगी।
- vi) उम्मीदवार को एक गैर-प्रकटीकरण शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और प्राधिकरण के साथ गोपनीयता के समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।

27/06/23

अनुलग्नक- II

एनएफआरए में परामर्शदाता के लिए आवेदन फॉर्म

आवेदक का पासपोर्ट  
आकार का नवीनतम  
रंगीन फोटोग्राफ

यह आवेदन सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ प्रधान निजी सचिव/ निजी सचिव से परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए है (कृपया ✓ का निशान लगाएं)

क्र.सं.	विवरण	आवेदक द्वारा भरा जाने वाला विवरण
1.	आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	पिता/ पति का नाम	
3.	राष्ट्रीयता	
4.	लिंग (पुरुष/महिला)	
5.	जन्मतिथि (DD/MM/YYYY)	
6.	आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख (अर्थात् 26.10.2023) को आयु	____ वर्ष ____ माह ____ दिन
7.	संपर्क विवरण : वर्तमान पता:  ई-मेल: मोबाइल नं.: लैंड लाइन नं.:	
8.	स्थयी पता:	
9.	सेवानिवृत्ति की तारीख:  कृपया पेंशन आदेश की प्रति संलग्न करें।	
10.	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद एवं वेतन लेवल (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार)	पद: वेतन लेवल: से: _____ तक:

रिक्त आदेश  
27/11/23

11.	अंतिम आहरित वेतन एवं मूल पेंशन (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) (एलपीसी एवं पीपीओ की प्रति संलग्न करें)	
12.	शैक्षिक योग्यता सहायक दस्तावेज संलग्न करें	
13.	टाइपिंग की भाषा, कृपया स्पष्ट रूप से बताएं।  (अंग्रेजी/ हिंदी / दोनों)	

14. सेवानिवृत्ति से पहले पिछले दस वर्षों में केन्द्र सरकार में सेवा का क्रमानुसार विवरण

क्र.सं.	अवधि	पदनाम, तैनाती स्थल, अधिकारी का नाम जिसके साथ काम किया	किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण

नोट- कृपया आवेदन के पूरे सेट पर पृष्ठ संख्या डालें और संलग्न दस्तावेजों की विषय-सूची संलग्न करें।

15. कृपया दो वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ दें जिनके अधीन आवेदक ने विभिन्न असाइनमेंट में काम किया है:

दिए जाने वाले संदर्भों में यह विवरण दिया जाए: अधिकारी जिसके साथ आवेदक ने काम किया है, उसका नाम, पदनाम, मंत्रालय/विभाग, ई-मेल आईडी, संपर्क नंबर।

16. क्या सरकारी सेवा के पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई छोटी/बड़ी शास्ति लगाई गई थी और यदि हां, तो उसका विवरण:

रिजिस्ट्रार  
22/11/15

17. सेवानिवृत्ति से पूर्व पिछले 05 वर्षों की वर्षवार एसीआर ग्रेडिंग:

वर्ष	एसीआर ग्रेडिंग

18. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं/ वचन देता/देती हूं:-

- (i) मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और मैं उन्हें पूरा करता/करती हूं।
- (ii) ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है।
- (iii) मैं समझता/समझती हूं और सहमत हूं कि चयन/साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी समय कोई जानकारी झूठी या गलत/अधूरी या अपात्र पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी अस्वीकार की जा सकती है और मैं कारपोरेट कार्य मंत्रालय/ एनएफआरए के निर्णय से बाध्य रहूंगा/रहूंगी।
- (iv) मैंने एनएफआरए में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के नियमों और शर्तों को समझ लिया है और मैं इन सभी नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से और बिना शर्त स्वीकार करता/करती हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं तारीख

स्थान:

तारीख:

प्रमाणित  
27/11/23

F. No. 3-25/2020-E.IIIA  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure

Dated the 9th December, 2020

Office Memorandum

**Subject: Regulation of Remuneration in case of Contract Appointment of Retired Central Government Employees.**

The undersigned is directed to say that Ministries/Departments appoint retired Central Government employees on contract basis, including as Consultants on contract basis. However, at present there are no uniform guidelines for regulation of remuneration in such cases.

2. The existing instructions of Department of Personnel and Training, as contained in their Central Civil Services (Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1986, as amended from time to time, provide for regulation of pay in case of re-employment. However, the instructions of Department of Personnel & Training as contained in their OM No. 26012/6/2002- Estt (A) dated 9.12.2002 provides that re-employment beyond the age of superannuation of 60 years shall not be permissible. Also, as per their OM No. 3(3)/2016-Estt (Pay II) dated 1.5.2017, the pay plus gross pension on re-employment is not to exceed Rs.2,25,000/-, i.e. Pay Level 17 as applicable to an officer of the level of Secretary to the Government of India.

3. Aforementioned instructions of Department of Personnel & Training on pay fixation in case of re-employment apply only to persons appointed on re-employment. These are not applicable to persons employed on contract basis except where the contract provides otherwise. Accordingly, in cases of appointment of retired Central Government employees on contract basis after the age of superannuation at 60 years, the instructions on pay fixation on re-employment will not directly apply.

4. Department of Personnel & Training has also informed that they are in the process of drafting a Note for Committee of Secretaries (CoS) regarding guidelines for engagement of retired Government servants as Consultant in Government Ministries and Department. In view of this, till Department of Personnel and Training finalizes their guidelines, there is a need to regulate remuneration in such cases of contract appointment of retired Central Government employees on a uniform basis. The matter has, therefore, been considered and it has been decided that regulation of remuneration in case of appointment of retired Central Government employees on contract basis, including as consultants, shall be regulated as provided hereinafter.

रिजिस्ट्रार  
27/12/20

B. M. M.

5. At the outset, such appointments shall not be made as a matter of practice and must be kept at a bare minimum. Such appointments may be made only in the justified exigencies of the official work where public interest is served by appointment of the retired employee. While making such appointments, adequate functional necessity with clear grounds must be placed before the appointing authority.

## 6. Remuneration

6.1 A fixed monthly amount shall be admissible, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract. There will be no annual increment / percentage increase during the contract period.

### Example

An employee retired in the Pay Level 13 and the pay at the time of retirement was Rs. 1,55,900. Thus, the basic pension will be Rs. 77,950. If the employee is appointed on contract basis, including as Consultant, the remuneration shall be fixed at Rs.77,950 (1,55,900-77950).

6.2 The basic pension to be deducted from the last pay drawn shall be the pension as fixed at the time of retirement and as such, if the employee has availed of the commuted value of pension, the commuted portion of pension shall also be included in the portion of pension to be deducted. Thus, in the above example, if 40% of pension was commuted, the commuted portion shall be Rs. 31,180 (40% of 77,950) and the pension actually drawn shall be Rs. 46,770. However, the amount of pension to be deducted from the last salary shall be Rs 77,950.

6.3 No Increment and Dearness Allowance shall be allowed during the term of the contract.

## 7. Allowances

### 7.1 House Rent Allowances

No HRA shall be admissible.

### 7.2 Transport Allowance

An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment. However, retired employees engaged as consultants may be allowed TA/DA on official tour, if any, as per their entitlement at the time of retirement.

RECEIVED  
22/11/15

B. M. M.



7.3 Leave of absence

Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service. Accumulation of leave beyond a calendar year may not be allowed.

8. Term of Appointment

8.1 The term of appointment shall ordinarily be for an initial period not exceeding one year which is extendable by another one year. Beyond two years after the age of superannuation where adequate justification exists, the term may be extended based on a review of the task and the performance of the contract appointee, provided it shall not be extended beyond 5 years after superannuation.

8.2 The consultant shall sign an agreement of confidentiality with the Government of India containing a clause on Ethics and Integrity.

9. Exemptions

The terms of appointment provided for in these orders shall not apply to cases and to the extent where the Appointments Committee of Cabinet has allowed special terms OR where special provisions have been allowed with the approval of the Department of Personnel & Training OR Department of Expenditure.

10. These orders shall apply to appointments made in the Central Government and shall be effective from the date of issue of the orders, until further orders or until instructions are issued by DoPT regulating remuneration of retired Government employees on their engagement as consultants. The past cases shall not be reopened in the light of these orders until the normal term of those past cases. Any relaxation of the above will be required to be referred to Department of Expenditure.



(B.K. Manthan)  
Deputy Secretary

To,

All the Ministries and Departments of the Government of India as per the standard list.

R. Manthan  
20/10/17